न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार बहक श्री महेन्द्रसिंह S/o जयसिंह राजपूत
श्री महावीर S/o श्रवणराम गिंवारिया
श्री नेमीचन्द S/o मिलापचन्द महाजन

जरिये पटवार हल्का भकरी पुत्र श्री.................................

जाति................................ नि. भकरी

मुकदमा नं. 03 / 2017 राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 03/08/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम शील भकरी खसरा नम्बर 145 रकबा 1.3154 हैक्टर किस्म बा॰2 सिवायचक (राजकीय भूमि) पर संवत 2074 में श्री महेन्द्रसिंह S/o जयसिंह राजपूत, " महावीर S/o श्रवणराम गिंवारिया, " नेमीचन्द S/o मिलापचन्द महाजन पुत्र श्री.................. जाति.................. निवासी भकरी (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा सं. 2074 में रवन्दक व बाड़ फसल खरीफ कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का भकरी अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी महेन्द्रसिंह S/o जयसिंह, नेमीचन्द S/o मिलापचन्द उपस्थित। महावीर S/o श्रवणराम अनुपस्थित। अप्रार्थियान द्वारा कोई जबाब पेश नही किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम शील भकरी ख.न. 145 रकबा 1.3154 किस्म बा.2 सिवायचक पर संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर रवन्दक व बाड़ कर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 5/- प्रति है॰ का 50 गुणा रूपया 32.88 रू॰ पूर्णांक 33/= रू. (रूपये तैंतीस) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/08/2017 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला नागौर (राज.)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)